थाईलैंड में गोलीबारी

पूर्व सांसद 'कोबरा' ने दफ्तर में अफसर को मारी गोली, मौत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बैंकॉक. बैंकॉक के बाहरी इलाके नॉन्थाबुरी प्रांत में सोमवार को एक पूर्व सांसद ने एक सरकारी दफ्तर में गोलियां चला दीं। इस हमले में प्रांतीय प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व पुलिस अफसर थोंगचाई येनप्रासर्ट की मौत हो गई। उनके ड्राइवर को हाथ में गोली लगी है। हमलावर तीन बार के सांसद रहे चालोंग रेवरेएंग (71) हैं।

1997 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के समर्थन को लेकर पार्टी लाइन से अलग मतदान करने के बाद थाई राजनीति में उन्हें 'कोबरा' के नाम से जाना जाने लगा था। हमलावर चालोंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका गोली चलाने का इरादा नहीं था। वह थोंगचाई को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। उन्होंने कहा कि थोंगचाई के ड्राइवर ने अपनी बंदूक निकाली और उनकी तरफ तान दी, जिसके बाद उन्हें गोली चलानी पड़ी।

सऊदी : सोफे की फैक्ट्री में आग, 16 बांग्लादेशियों की मौत

रियाद@पत्रिका. सऊदी अरब में रियाद स्थित मूसा सनैया इलाके में एक सोफा कारखाने में लगी भीषण आग में 16 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने घटना की पुष्टि करते हुए हादसे पर दुख जताया। बयान में कहा गया कि बांग्लादेशी दूतावास के अधिकारी पीड़ितों की पहचान करने और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ काम रहे हैं। यह आग स्थानीय समयानुसार रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे लगी थी।

अयोध्या : 5300 से ज्यादा आवेदन मिले

राम मंदिर के सीईओ पद के लिए 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

अयोध्या. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिए 5300 से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें से 18 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मंदिर सूत्रों के अनुसार, मंगलवार और बुधवार को मंदिर परिसर में साक्षात्कार होंगे।

चयन प्रक्रिया ऐसे समय हो रही है, जब राम मंदिर चंदा गबन मामले की जांच के दौरान मंदिर प्रशासन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। ट्रस्ट ने मामला सामने आने के बाद सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया था। सीईओ मंदिर के प्रशासन, प्रबंधन और उससे जुड़े कारोबार की देखरेख करेंगे। चयन के लिए पूर्व जस्टिस प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णुकांत चतुर्वेदी और शिरडी साई बाबा ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक सुरेश हावरे का पैनल है।

हिंदू परंपराओं का पालन जरूरी

सीईओ पद के उम्मीदवार की उम्र 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पात्रता शर्तों में उम्मीदवार के लिए हिंदू होना, हिंदू परंपराओं और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना, शुद्ध शाकाहारी और पूर्णत: शराब से दूर रहना अनिवार्य किया गया है। चयन के बाद सीईओ मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

सीनेट ने सितंबर तक टाली वोटिंग

अमरीका में क्रिप्टो कानून फिर अटका

वॉशिंगटन @ पत्रिका. अमरीकी सीनेट ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए व्यापक नियामकीय ढांचा बनाने वाले क्लैरिटी एक्ट पर वोटिंग सितंबर तक टाल दिया है। सीनेट के बहुमत नेता जॉन थ्यून ने 14 सितंबर को सीनेट के दोबारा बैठने पर बिल को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। बिल को क्रिप्टो उद्योग के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह डिजिटल एसेट्स के नियमन की स्पष्ट व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। लेकिन डेमोक्रेट सांसद मनी लॉन्ड्रिंग और नैतिक मानकों को लेकर अतिरिक्त प्रावधान चाहते हैं। स्टेबलकॉइन रिवॉर्ड और कम्युनिटी बैंकों की जमा राशि की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी सहमति नहीं बन पाई है।

बिल में सरकारी अधिकारियों, डोनाल्ड ट्रंप सहित, क्रिप्टो कारोबार संचालित करने पर रोक का प्रावधान भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। नवंबर के मध्यावधि चुनाव से पहले सीनेट के पास सीमित विधायी दिन बचे हैं।

क्यों अहम है क्लैरिटी एक्ट

यह अमरीका में क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स के लिए व्यापक नियम तय करने की कोशिश है। कानून बनने पर यह तय करने में मदद करेगा कि अलग-अलग डिजिटल एसेट्स पर किस नियामक का अधिकार होगा और क्रिप्टो कारोबार के लिए किन नियमों का पालन जरूरी होगा।

पश्चिम बंगाल

टीएमसी कार्यकर्ता की हिरासत में मौत मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

कोलकाता @ पत्रिका. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की कथित रूप से पुलिस हिरासत में मौत के मामले में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। इस दौरान सीएम सुवेंदु ने कहा कि मामले में थाने के प्रभारी निरीक्षक को हटाते हुए जांच अधिकारी को निलंबित किया गया है। परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की मदद घोषित की गई। पत्नी को एक साल तक मासिक 15 हजार रुपये सहायता मिलेगी, इसके बाद ग्रुप-डी नौकरी दी जाएगी।

जहर देने का आरोप : पुलिस ने फार्म हाउस से पकड़ा

अभिनेत्री का रेप कर धमकी दी, बॉलीवुड डायरेक्टर गिरफ्तार

शकील नूरानी

मुंबई. पुलिस ने रेप और धमकी देने के आरोप में बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक शकील नूरानी (73) को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि उन्हें शनिवार को महाबलेश्वर में उनके फार्महाउस से गिरफ्तार किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से वह फरार थे। अभिनेत्री बनने आई एक महिला ने आरोप लगाया कि नूरानी ने पिछले चार सालों में उसका यौन उत्पीड़न किया और जहर भी दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के बहाने अपने घर बुलाया और फिर ड्रिंक में कुछ मिलाया। इसके बाद यौन शोषण किया। मोबाइल में वीडियो भी रिकॉर्ड किया और किसी को न बताने की धमकी भी दी। नूरानी ने गोविंदा की 'जोरू का गुलाम' (2000) और सुनील शेट्टी की 'बड़े दिलवाला' (1999) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है।

अमरीकी आलोचनाओं पर भारत का जवाब

एफसीआरए संशोधन विदेशी फंडिंग रोकने के लिए नहीं : क्वात्रा

नई दिल्ली @ पत्रिका. विदेशी फंडिंग को लेकर प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक-2026 पर अमरीका में उठे सवालों के बीच भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव विदेशी फंडिंग को पूरी तरह रोकने के लिए नहीं हैं, बल्कि विदेशी योगदान के वित्तीय प्रवाह में पारदर्शिता, बेहतर शासन और निगरानी मजबूत करने के लिए हैं।

क्वात्रा ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के जरिए विधेयक को लेकर सामने आए दावों और गलतफहमियों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करना भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। साथ ही उन्होंने अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कई देशों में विदेशी वित्तीय प्रवाह को नियंत्रित करने वाले कानूनों का भी हवाला दिया।

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर, (छ.ग.)

क्र./1686/न.पा.नि./ लो.नि.वि./2026 जगदलपुर, दिनांक-07/08/2026

निविदा निरस्तीकरण सूचना

मैनुअल पद्धति निविदा सूचना क्र. 992 दिनांक 16.06.2026 के माध्यम से पत्रिका दै. समाचार पत्र में दिनांक 18.06.2026 कर आमंत्रित निविदा छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक GEBS-21/1092/2026-UAD नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25.05.2025 के पैरा दो एवं चार के अनुसार नहीं होने के कारण निविदा को निविदा शर्तें कमांक 52 में अनुसार निविदा को निरस्त किया जाता है।

आयुक्त
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

संवाद-48716

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR
(An Institute of National Importance)
G.E. Road, Raipur - 492010 (CG) Phone: (0771) 4270619
Email: registrar@nitrr.ac.in, Website: www.nitrr.ac.in

क्रं./एनआईटीआरआर/रजिस्ट्रार/2026/702 दिनांक 10/08/2026

एनआईटी रायपुर में एम.टेक./एम.एससी. प्रवेश हेतु स्पॉट राउंड काउंसिलिंग की सूचना

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न **एम.टेक./एम.एससी. कार्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु स्पॉट राउंड काउंसलिंग** आयोजित की जा रही है। पंजीकृत अभ्यर्थी **दिनांक 14.08.2026** को आयोजित स्पॉट राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। **पात्रता, रिक्त सीटों की उपलब्धता, प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क एवं अन्य निर्देशों** की विस्तृत जानकारी के लिए एनआईटी रायपुर की वेबसाइट देखें।

सही/- **कुलसचिव**
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई (छ.ग.)

क्रमांक/लो.क.वि./जोन-2/2026/486/169 **ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना** भिलाई दिनांक 06.08.2026

इस कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-टेंडर आमंत्रित की गई है, जिसका विस्तृत विवरण वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	कार्य का विवरण	सिस्टम टेंडर नं.	अनुमानित लागत (लाख में)	BID Due की अंतिम तिथि	दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	जोन क्र. 02 वार्ड क्र. 21 कैलाश नगर मुक्तिधाम का विकास कार्य।	196685	44.650	03.08.2026 से 24.08.2026 तक	27.08.2026
2	जोन क्र. 02 वार्ड क्र. 24 हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पुरानी ए.सी. प्रेशर/एम.डी.पी.ई. पाईप लाईन को बदलकर डी.आई.पाईप लाईन बिछाने का कार्य।	196980	29.21	06.08.2026 से 27.08.2026 तक	01.09.2026

(नोट :- ई टेण्डर में ऑफलाईन शपथ पत्र एवं EMD / FDR प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य किया जावेगा / दर को नहीं खोला जावेगा।) उपरोक्त निविदा निर्माण कार्यो सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी http://eproc.cgstate.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त

कार्यालय अधीक्षक
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धमतरी, जिला-धमतरी छ.ग.

-: निविदा :-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धमतरी (ग्राम भटगांव) जिला - धमतरी छ.ग. जिसकी भू-तल 1800 वर्ग मीटर एवं प्रथम तल 400 वर्ग मीटर में डाउन कवर, फर्स्ट एड होज रील, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रानिक फायर अलार्म, टेरेस टेंक 10,000 लीटर टेरेंस पंप इत्यादि लगाया जाना है। इस हेतु रजिस्टर्ड वेंडर दिनांक 31.08.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे तक कोटेशन सील बंद लिफाफा में अधीक्षक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धमतरी, पता - ग्राम व पोष्ट भटगांव, तह. व जिला - धमतरी छ.ग. पिन कोड 493776 के पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर जमा कर सकते है। नियत दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त बंद लिफाफा स्वीकार नही किये जायेगें तथा निविदा उसी दिनांक को शाम 4:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जावेगा।

स्थान - धमतरी

अधीक्षक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धमतरी
जिला - धमतरी (छ.ग.)

G-262702700

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय-रायगढ़ (छ.ग.)
E-mail : gmcraigarhhospital@gmail.com, msgmch.rgh-cg@gov.in

क्रमांक/4755/चिकि./क्रय/2026-27 रायगढ़ दिनांक 03.08.2026

// निविदा सूचना //

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर से चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग के लिए इम्प्लांट एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में दर अनुबंध (Rate Contract) करने हेतु वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in में ई-टेंडर के माध्यम से इच्छुक फर्म/प्रदायकर्ता/डिलर/निर्माता कंपनी से ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा शुल्क रू.2000.00 (रू. दो हजार मात्र) जो वापसी योग्य नहीं है।

निविदा प्रारंभ तिथि : दिनांक 07.08.2026 समय 10:00 AM से
वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से ई - निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : दिनांक 31.08.2026 समय 11:59 AM के पूर्व
दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने कीअंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 01.09.2026 समय 03:00 PM के पूर्व
निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 01.09.2026 समय 04:00 PM

निविदा संबंधी में विस्तृत जानकारी www.gmcraigarh.edu.in एवं https://eproc.cgstate.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)

G-262702534

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
वि./यां. ला. म. नलकूप एवं गेट संभाग सकरी, बिलासपुर (छ.ग.)

eProcurement Portal : https://eproc.cgstate.gov.in
(द्वितीय - आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 197043/निविदा सूचना क्र. 09/ व.ले.लि./2026-27
दिनांक 07.08.2026

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 31.08.2026 17:30 तक ऑन लाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है -

कार्य का नाम - कोरबा जिले के विकासखण्ड कटघोरा अन्तर्गत कटघोरा व्यपवर्तन योजना के जलद्वारों का मरम्मत एवं जीर्णोद्वार कार्य।

अनुमानित लागत - रू. 70.74 लाख (जी.एस.टी. छोड़कर)

(निविदा की अनुमानित लागत एस.ओ.आर. 22.08.2022 एवं संशोधित 23.04.2026 के आधार पर)

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 14.08.2026 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।

नोट : 1. निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
2. निविदाकार को इस निविदा में वर्ष 2025 में जारी किए गये Pre Bid Qualification certificate (Valid up to 30.09.2026) का उपयोग अनिवार्य है।
3. निविदा पूर्व अर्हता के संबंध में निविदा प्रपत्र फार्म बी. के कंड़िका 2.1.1 (स.क्र. 4 एवं 5) एवं एनेक्चर। (पूर्व अर्हता एवं फार्म बी. दस्तावेज) में वर्णित अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. निविदाकार द्वारा अपने वित्तीय प्रस्ताव में जी.एस.टी. छोड़कर निविदा भरा जाना है।

कार्यपालन अभियंता
वि./यां. ला.म. नलकूप एवं
गेट संभाग सकरी, बिलासपुर (छ.ग.)
दिनांक 07.08.2026

G-262702664

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना
Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर में निम्नलिखित कार्य नवीन ई-पंजीयन में पंजीकृत ठेकेदार हेतु 21.08.2026 तक निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र.	नि.आ.सू.क्र./ दिनांक	कार्य का नाम	लागत (लाख मे)
1	239	हाईस्कूल भवन परदेशीकापा, भालूखोंदरा, दाऊकापा एवं करनकापा का विशेष मरम्मत कार्य। द्वितीय आमंत्रण। मुंगेली संभाग मुंगेली। मद संख्या - 67-2059-3383	75.12
2	240	जिला रायगढ़ के शासकीय पं. किशारी मोहन त्रिपाठी महिला महाविद्यालय रायगढ़ में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य। द्वितीय आमंत्रण। रायगढ़ संभाग रायगढ़। मद संख्या - 67-4202-5086	86.62

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि.,बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर

G-262702657

कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर (छ.ग.)
जेम निविदा सूचना

क्र.07/न.पा.नि./जोन क्र.06/2026-27 दिनांक 07/08/2026

जेम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत फर्म से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 31.08.2026 तक बिड आमंत्रित की जाती है :-

बिड नम्बर	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	धरोहर राशि
Gem/2026/B/7892610	जोन क्र. 06 अंतर्गत जलप्रदाय कार्य हेतु 21 पम्प आपरेटर अकुशल श्रमिक प्रदाय कार्य।	33.09	33000.00
Gem/2026/B/7892730	जोन क्र. 06 अंतर्गत हेतु 14 कुशल ड्राईवर एवं 11 अकुशल हेल्पर श्रमिक प्रदाय कार्य।	42.23	42000.00
Gem/2026/B/7892777	जोन क्र. 06 अंतर्गत कार्यालयीन कार्य हेतु 09 कुशल एवं 11 अकुशल श्रमिक प्रदाय कार्य।	33.34	33000.00
Gem/2026/B/7892682	जोन क्र. 06 अंतर्गत सफाई कार्य हेतु 60 अकुशल श्रमिक प्रदाय कार्य।	94.55	95000.00

उपरोक्त बिड के संबंध में अन्य जानकारी वेबसाईट https://mkp.gem.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
जोन क्र.06
न.पा.नि. बिलासपुर (छ.ग.)

Green City, Clean City, Dream City.

न्यायालय नायब तहसीलदार रायपुर
जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

ईश्तहार

क्रमांक / / अ-6/2025-26 रायपुर, दिनांक 03/08/2026
ग्राम कोटा प.ह.नं. 51, तहसील रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक वरिष्ठ मंडल अभियंता 1 दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर (छ.ग.) द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि ग्राम कोटा प.ह.नं. 51 रा.नि.मं. 03 तहसील जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 216, 88, 7 रकबा 0.668, 2.318, 1.268 हे. भूमि पी-2 पांचसाला अभिलेख वर्ष 1976-77 फार्म पी-2 खसरा पांचसाला खंड 1 कृषि वर्ष 2019-20 एवं सत्यापित रेल्वे लैण्ड प्लान सन 1941 की सत्यापित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। रेलवे से संबंधित उक्तानुसार ग्राम डुमरतालाब के वर्तमान खसरे के भूमि स्वामी अद्यतन उपरोक्त फार्म पी-2 के कॉलम 8 के अनुसार शासकीय भूमि के स्थान पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल के नाम पर संशोधन किये जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में हल्का पटवारी से स्पष्ट जांच प्रतिवेदन लिया गया जिसके प्रतिवेदनानुसार ग्राम कोटा 1+2 प.ह.नं. 51 रा.नि.मं. रायपुर 03 तहसील एवं जिला रायपुर स्थित खसरा नंबर 88 रकबा 2.3180 हे. वर्तमान में खसरा नंबर पांचसाला शासकीय भूमि कैफियत में रेल्वे सड़क में दर्ज है। खसरा नंबर 216 का रकबा 0.6680 हे. वर्तमान मे खसरा पांचसाला शासकीय भूमि कैफियत में रेल्वे सड़क में दर्ज है। खसरा नंबर 7 रकबा 1.2680 हे. वर्तमान में खसरा पांचसाला शासकीय भूमि कैफियत में रेल्वे लाईन में दर्ज होना लेख किया गया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो वे नियत सुनवाई दिनांक 17/08/2026 तक स्वत: अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार, रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

क्रमांक / / अ-6/2025-26 रायपुर, दिनांक 03/08/2026
ग्राम डुमरतालाब प.ह.नं. 53, तहसील रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक वरिष्ट मंडल अभियंता 1 दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर (छ.ग.) द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि ग्राम डुमरतालाब प.ह.नं. 53 रा.नि.मं. 03 तहसील जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 207/1, 207/2, 207/3 रकबा 0.2430, 0.5380, 6.7700 हे. भूमि पी-2 पांचसाला अभिलेख वर्ष 1977-78 फार्म पी-2 खसरा पांचसाला खंड 1 कृषि वर्ष 2023-24 एवं सत्यापित रेल्वे लैण्ड प्लान सन 1941 की सत्यापित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। रेलवे से संबंधित उक्तानुसार ग्राम डुमरतालाब के वर्तमान खसरे के भूमि स्वामी अद्यतन उपरोक्त फार्म पी-2 के कॉलम -8 के अनुसार शासकीय भूमि के स्थान पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल के नाम पर संशोधन किये जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में हल्का पटवारी से स्पष्ट जांच प्रतिवेदन लिया गया जिसके प्रतिवेदनानुसार ग्राम डुमरतालाब प.ह.नं. 53 रा.नि.मं. रायपुर 03 तहसील एवं जिला रायपुर स्थित खसरा नंबर 207/1 का रकबा 0.2430 हे. वर्तमान में खसरा पांचसाला में सड़क मद में दर्ज है। खसरा नंबर 207/2 का रकबा 0.5380 हे. सड़क मद में वर्तमान खसरा में दर्ज है। खसरा नंबर 207/3 का रकबा 6.7700 हे. भूमि सड़क मद में वर्तमान में वर्तमान खसरा पांचसाला में दर्ज है। उपरोक्त तीनो खसरो का योग 7.551 हे. आ रहा है, जिसको एकड़ में बदलने पर 18.65 एकड़ प्राप्त हो रहा है। मिसल रिकार्ड में खसरा नंबर 207 मूल खसरा का रकबा 21.23 एकड भूमि सड़क रेल्वे के मद में दर्ज है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो वे नियत सुनवाई दिनांक 17/08/2026 तक स्वत: अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार, रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

क्रमांक / / अ-6/2025-26 रायपुर, दिनांक 03/08/2026
ग्राम चिरहुलडीह प.ह.नं. 52, तहसील रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक वरिष्ट मंडल अभियंता 1 दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर (छ.ग.) द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि ग्राम चिरहुलडीह प.ह.नं. 52 रा.नि.मं. 03 तहसील जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 96 नया खसरा नंबर 871, 65 कुल रकबा 18.8380 हे. भूमि पी-2 पांचसाला अभिलेख वर्ष 1979-80 पी-2 खसरा पांचसाला कृषि वर्ष 2025-26 एवं सत्यापित रेल्वे लैण्ड प्लान सन 1941 की सत्यापित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। रेलवे से संबंधित उक्तानुसार ग्राम चिरहुलडीह के वर्तमान खसरे के भूमि स्वामी अद्यतन उपरोक्त फार्म पी-2 के कॉलम 8 के अनुसार शासकीय भूमि के स्थान पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल के नाम पर संशोधन किये जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो वे नियत सुनवाई दिनांक 17/08/2026 तक स्वत: अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

PR/R/ENGG(Land section)/PCN/169 *नायब तहसीलदार, रायपुर (छ.ग.)*

कार्यालय कलेक्टर
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-बीजापुर
(जिला बाल संरक्षण इकाई)
Phone Number Fax Number 07853-220346
E-mail ID - bijapurdwcdo@gmail.com

क्रमांक / 235 / मबावि / मि.वा. / 2026–27
बीजापुर, दिनांक 7 / 06 / 2026

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के अस्थाई संरक्षण के लिये भावी–अभिभावकों से आवेदन आमंत्रण

जिले में संचालित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख और संरक्षण की अवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा मॉडल गाइड लाइन फॉर फॉस्टर केयर के प्रावधानानुसार अस्थाई संरक्षण में दिये जाने हेतु Foster Care में भारतीय दम्पति आवेदन कर सकते है।

Foster Care परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा / उच्च शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण, आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा / उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी आवश्यकताओं, की पूर्ति, बालक की शोषण / दुर्व्यवहार / हानि / उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें। इसके साथ ही फास्टर केयर मार्गदर्शिका में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

ऐसे भारतीय दंपति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते है, वे कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर प्रथम तल जिला– बीजापुर (छ.ग.) में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है। आवेदन के पश्चात् उक्त अधिनियम एवं गाइड लाइन के प्रकाश में गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पान्सरशिप एवं फास्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले की बालक कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु बालक, संबंधित दंपति को Foster Care में दिया जा सकेगा।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बीजापुर (छ.ग.)

जी–262702673

संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय रायपुर-छत्तीसगढ़
दूरभाष : 0771–2537404, टेलीफैक्स 0771–2234731
ई–मेल : deptt.archaeologye@gmail.com वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक 625 / अनु. / पु.अ.सं. / 2026 रायपुर, दिनांक 07 / 08 / 2026

मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि	बयाने की राशि
1.	राज्य संरक्षित स्मारक देवरानी जेठानी मंदिर ताला जिला बिलासपुर के जेठानी मंदिर में ईट संरचना का अनुरक्षण कार्य।	9,87,000.00	20,000.00
2.	राज्य संरक्षित स्मारक ध्वस्त मंदिर, रानी तालाब के समीप जिला बलरामपुर के मंदिर क्रमांक 01,02,03 एवं 04 में अनुरक्षण कार्य।	9,95,000.00	20,000.00
3.	राज्य संरक्षित स्मारक चितावरी देवी मन्दिर, धोबनी, जिला बलौदाबाजार में प्लिन्थ प्रोटेक्शन, सुरक्षा घेरा, पाथवे एवं सिटींग चेयर निर्माण कार्य।	9,97,000.00	20,000.00
4.	राज्य संरक्षित स्मारक कुरिया झोरकी महेशपुर जिला सरगुजा में पाथवे निर्माण, प्लीथ प्रोटेक्शन निर्माण, शेड रिपेरिंग एवं सुरक्षा घेरा रिपेरिंग, कार्य।	8,90,000.00	17,800.00
5.	राज्य संरक्षित स्मारक शिव मंदिर एवं ठाकुरबाड़ी मंदिर महेशपुर जिला सरगुजा के शिव मंदिर में टॉयलेट ब्लाक, पेंटिग एवं पाथवे निर्माण कार्य।	8,60,000.00	17,200.00
6.	स्मारक स्थल सामत सरना, डीपाडीह जिला बलरामपुर में टॉयलेट ब्लाक एवं पाथवे निर्माण कार्य।	9,90,000.00	20,000.00
7.	उत्खनन स्थल मदकूद्वीप जिला मुंगेली में टॉयलेट ब्लाक निर्माण कार्य।	7,49,000.00	15,000.00
8.	राज्य संरक्षित स्मारक देवरानी जेठानी मंदिर ग्राम ताला जिला बिलासपुर में टॉयलेट ब्लाक निर्माण कार्य।	7,49,000.00	15,000.00
9.	राज्य संरक्षित स्मारक शिव मंदिर एवं ठाकुरबाड़ी मंदिर महेशपुर जिला सरगुजा के ठाकुरबाड़ी मंदिर मे फ्लोरिंग, सुरक्षा घेरा एवं सिटींग चेयर निर्माण कार्य।	9,95,000.00	20,000.00

ठेकेदार की श्रेणी – उपयुक्त श्रेणी,
कार्यावधि – कार्यादेश से 03 माह,
निविदा प्रपत्र की राशि रू. – 750 / – (रू. सात सौ पचास मात्र)

01. कोरी निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 21.08.2026 शाम 5:00 बजे तक।
02. बंद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 01.09.2026 शाम 5:00 बजे तक।
03. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 02.09.2026 दोपहर 12.00 बजे।

(निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदा प्रस्तुत एवं खोली जावेगी)

- कंडिका क्रमांक 01 एवं 02 कार्यों के लिए ठेकेदार / फर्म को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राज्य पुरातत्व विभाग में अनुरक्षण कार्य के लिए न्युनतम 03 वर्षों का अनुरक्षण कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, निविदा फार्म क्रय करने हेतु अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नही किया जावेगा।
- अमानत राशि एफ.डी.आर. / बैंक ड्राफ्ट 3 वर्ष का जो कि संचालक, पुरातत्व अभिलेखागर एवं संग्रहालय, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाईन रायपुर छ.ग. के नाम से बनवाना होगा।
- निविदा के सामान्य शर्ते विस्तृत निविदा विज्ञप्ति एवं निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर या विभागीय वेबसाईट www.cgculture.in पर निविदा जारी दिनांक से देखी जा सकती है।

संचालक
पुरातत्व अभि. एवं संग्रहालय
रायपुर (छ.ग.)

जी–262702692

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

G27/138/NFR-COMM/SEY/2026 दिनांक: 07.08.2026

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा सिवनी रेलवे स्टेशन (एसईवाई) स्थित रेलवे भवन के नवीनीकरण, संचालन एवं रखरखाव (आरओएमटी) के माध्यम से बजट होटल एवं डॉर्मिटरी विकसित करने तथा खुले आयोजन स्थल के संचालन हेतु प्रतिष्ठित डेवलपर्स, होटल संचालकों, आतिथ्य सेवा कंपनियों, अवसंरचना कंपनियों, कंसोर्टियमों तथा इच्छुक निवेशकों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है।

परियोजना का विवरण:

1. **स्थान:** सिवनी रेलवे स्टेशन (एसईवाई), नागपुर मंडल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे – सिवनी शहर से 2.2 कि.मी. तथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जिससे यह पेंच और कान्हा राष्ट्रीय उद्यानों के बीच यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए एक आदर्श पड़ाव एवं आतिथ्य स्थल है।
2. **मॉडल:** नवीनीकरण, संचालन एवं रखरखाव (आरओएमटी)।
3. **प्रस्तावित सुविधाएँ:**
   क. बजट होटल
   ख. डॉर्मिटरी आवास
   ग. भूतल पर रेस्टोरेंट
   घ. बेसमेंट पार्किंग
   ङ. स्वीकृत स्थल–रेखाचित्र में दर्शाए अनुसार विवाह समारोहों, सामाजिक आयोजनों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के लिए खुला आयोजन स्थल।
4. **प्रस्तावित अनुबंध अवधि:** 10 वर्ष, जिसे रेलवे की नीति तथा संतोषजनक कार्य–निष्पादन के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
5. **अनुभव का दस्तावेजी प्रमाण:** आवेदक के पास इसी प्रकार के कार्यों के संचालन एवं प्रबंधन का कम से कम 05 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, अर्थात् ठहरने की सुविधा वाले होटल / अतिथि गृह / पेइंग गेस्ट हाउस / बजट होटल का रेलवे में अथवा रेलवे के बाहर मालिक, फ्रेंचाइजीधारक, भागीदार, पट्टाधारक या संचालक के रूप में संचालन एवं प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. **वित्तीय पात्रता:** आवेदक को रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशों (एफएम परिपत्र संख्या 11, वर्ष 2022 तथा रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2022/TG-IV/18/Misc/E-auction दिनांक 20.06.2022) के तहत निर्धारित न्यूनतम वार्षिक वित्तीय कारोबार के मानदंडों को पूरा करना होगा। वित्तीय पात्रता के प्रमाण के रूप में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते प्रस्तुत करने होंगे।

चयनित संचालक को अपने खर्च पर नवीनीकरण, आंतरिक विकास, साज–सज्जा, संचालन, रखरखाव तथा सभी वैधानिक अनुपालनों का दायित्व वहन करना होगा। भूमि और भवन का स्वामित्व रेलवे के पास ही रहेगा। परिसर को "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण सहित अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें:

1. कंपनी का परिचय।
2. होटलों, अतिथि गृहों, आतिथ्य परियोजनाओं या इसी प्रकार की अवसंरचना के संचालन / प्रबंधन का अनुभव।
3. वित्तीय क्षमता।
4. सुविधा के विकास और संचालन के लिए अवधारणा विवरण।
5. प्रस्तावित मूल्यवर्धन, यदि कोई हो।

ईओआई प्रस्तुत करने मात्र से कार्य आवंटित किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। रेलवे प्रशासन बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी ईओआई को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा ईओआई प्रक्रिया को बोली के लिए आमंत्रण नहीं माना जाएगा। विस्तृत शर्तें, पात्रता मानदंड तथा निविदा की शर्तें ई–नीलामी / निविदा आमंत्रित किए जाने के समय अलग से प्रकाशित की जाएँगी।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पक्ष संपर्क कर सकते हैं: 9752878954 और 9561012768
ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 20.08.2026 (15.00 बजे तक) है।
गूगल लोकेशन: https://maps.app.goo.gl/9K1JRCcZD3T1qucW9
परिसंपत्ति के चित्र देखें: https://drive.google.com/drive/folders/1L8wweBW_ntCINXJNZcxT3ZntJd5STsSq?usp=drive_link

PAM/35/85 मंडल वाणिज्य प्रबंधक / द.पू.म. रेलवे / नागपुर

South East Central Railway @secrail

संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय
रायपुर–छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771–2537404, टेलीफैक्स 0771–2234731
ई–मेल : deptt.archaeologye@gmail.com वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक 627/अनु./पु.अ.सं./ 2026 रायपुर, दिनांक 07/08/2026

निविदा की शर्ते
मैनुअल पद्वति निविदा सूचना

—::—

निम्नलिखित कार्य के लिये छ.ग. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' पर मुहरबंद निविदायें PWD SOR एक जनवरी 2015 की दरों पर प्रतिशत आधार पर छ.ग. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति के अनुरूप मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक (ए.डी.) तथा स्पीड पोस्ट सर्विस द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आमंत्रित की जाती है।

मुहरबंद निविदायें समिति के सदस्य एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ ठेकेदारी पंजीयन, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, वाणिज्यकर कार्यालय का पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेंसी, इंजीनियर नियोजन पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां अनिवार्यतः प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क जो वापस योग्य नहीं है, नगद भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। आवश्यकता होने पर कार्य तथा निविदा सूचना के संबंध में आकस्मिक संशोधन इस कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदा प्रस्तुत एवं खोली जावेगी।

01. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि **21.08.2026 शाम 5:00 बजे तक।**
02. मुहर बंद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि **01.09.2026.शाम 5:00 बजे तक।**
03. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक **02.09.2026 दोपहर 12.00 बजे।**

क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि	बयाने की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र की राशि
1.	राज्य सरक्षित स्मारक देवरानी जेठानी मदिर ग्राम–ताला जिला बिलासपुर के जेठानी मंदिर में ईट संरचना का अनुरक्षण कार्य।	9,87,000.00	20,000.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादिश से तीन माह	750.00
2.	राज्य संरक्षित स्मारक ध्वस्त मंदिर, रानी तालाब के समीप जिला बलरामपुर के मंदिर कमांक 01,02,03 एवं 04 में अनुरक्षण कार्य।	9,95,000.00	20,000.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादिश से तीन माह	750.00
3	राज्य संरक्षित स्मारक चितावरी देवी मन्दिर, धोबनी, जिला बलौदाबाजार में प्लिन्थ प्रोटेक्शन, सुरक्षा घेरा, पाथवे एवं सिटींग चेयर निर्माण कार्य।	9,97,000.00	20,000.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादिश से तीन माह	750.00
4	राज्य संरक्षित स्मारक कुरिया झोरकी महेशपुर जिला सरगुजा में पाथवे निर्माण, प्लींथ प्रोटेक्शन निर्माण, शेड रिपेरिंग एवं सुरक्षा घेरा रिपेरिंग कार्य।	8,90,000.00	17,800.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादिश से तीन माह	750.00
5	राज्य सरक्षित स्मारक शिव मंदिर एवं ठाकुरबाड़ी मंदिर महेशपुर जिला सरगुजा के शिव मंदिर में टॉयलेट ब्लाक, पेंटिग एवं पाथवे निर्माण कार्य।	8,60,000.00	17,200.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादिश से तीन माह	750.00
6	स्मारक स्थल सामत सरना, डीपाडीह जिला बलरामपुर में टॉयलेट ब्लाक एवं पाथवे निर्माण कार्य।	9,90,000.00	20,000.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादिश से तीन माह	750.00
7	उत्खनन स्थल मदकूद्वीप जिला मुंगेली में टॉयलेट ब्लाक निर्माण कार्य।	7,49,000.00	15,000.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादिश से तीन माह	750.00
8	राज्य सरक्षित स्मारक देवरानी जेठानी मदिर ग्राम–ताला जिला बिलासपुर में टॉयलेट ब्लाक निर्माण कार्य।	7,49,000.00	15,000.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादिश से तीन माह	750.00
9	राज्य सरक्षित स्मारक शिव मंदिर एवं ठाकुरबाड़ी मंदिर महेशपुर जिला सरगुजा के ठाकुरबाड़ी मंदिर में फ्लोरिंग, सुरक्षा घेरा एवं सिटींग चेयर निर्माण कार्य।	9,95,000.00	20,000.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादिश से तीन माह	750.00

निविदा की शर्तें :–

01.अमानत राशि राशि एफ.डी.आर. / बैंक ड्राफ्ट जो कि संचालक, पुरातत्व अभिलेखागर एवं संग्रहालय, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाईन रायपुर छ.ग. के नाम से देय हो तथा कम से कम तीन वर्ष की अवधि का हो जिसे निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ब्याने की राशि के अभाव में निविदा बिना खोले वापस कर दी जायेगी।

02.किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं त्रुटियुक्त, ओव्हर रायटिंग, अपूर्ण हस्ताक्षरित तथा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

03.मुहरबंद निविदाओं के प्रत्येक लिफाफे पर कार्य का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।

04.ऐसे ठेकेदार जो एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत है।

05.निविदा दो अलग–अलग लिफाफा पद्वति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि के साथ सत्य निष्ठा सपथ पत्र तथा द्वितीय लिफाफा में वित्तीय प्रस्ताव। उक्त दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में भरकर मुहरबंद करके भारतीय पोस्टल रजिस्ट्री कि पंजीकृत डाक(ए.डी) या स्पीड पोस्ट सर्विस के माध्यम से प्रेषित करना होगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि प्राप्त नही होने की दशा में वित्तीय प्रस्ताव नही खोला जावेगा। अन्य कोई भी मध्यम से प्रेषित मान्य नही होगा।

06. विस्तृत निविदा विवरण की विशेष शर्ते की कंडिका क्र.–8(1) के अनुसार प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।

07.उपरोक्त कार्यो हेतु ठेकेदार / फर्म को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राज्य पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय विभाग में जारी निविदा मे उल्लेखित प्रकार के कार्यों में कार्य किये ठेकेदारों / फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।

08. विशेष शर्त की कंडिका रू. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अमानत राशि के लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

09. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी संधारित की जावेगी तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउण्ट में सीधे मजदुरी भुगतान शासन के प्रचलित नियमानुसार करना होगा तथा देयक भुगतान के समय कोई लेबर भुगतान शेष नही है का प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10.ठेकेदार को नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी / मस्टररोल, वेतन भुगतान पंजी, नियोजन पंजी का संधारण अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ–साथ अन्य लाभ जैसे–ओव्हर टाइम भत्ता, बोनस, ग्रेच्युटी, मातृत्व हितलाभ, अवकाश, ई.इस.आई. भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लाभ शासन के प्रचलित नियमानुसार देना होगा।

11.कार्यादेश प्राप्त फर्म / ठेकेदार को देयक भुगतान के समय देयक की राशि का 5% सुरक्षा राशि एफ.डी.आर.के रूप में जो कि संचालक पुरातत्व अभिलेखगार एवं संग्रहालय रायपुर के नाम से जो तीन वर्ष की अवधि का हो जमा करना होगा। कार्य के उपरांत ठेकेदार को तीन वर्ष तक स्वयं के व्यय से त्रुटि सुधार / रखरखाव करना होगा एवं तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत संबधित अधिकारी / अभियंता के द्वारा कार्य सत्यापन उपरांत एफ.डी.आर.विमुक्त की जावेगी।

12. परिशिष्ट 2.10 के एनेक्सर जी (स्पेशल कंडीशन ऑफ एन.आई.टी.) की कंडिका 4 (1से 5) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात 3 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा तथा कार्य नही करने पर जमा सुरक्षा राशि राजसात एवं इस विभाग में कार्य करने के लिए आयोग्य घोषित किया जावेगा जिसके लिए संबधित ठेकेदार / फर्म स्वयं जिम्मेदार होगें।

13. विशेष शर्त की कंडिका 4 के अनुसार परफार्मेस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से 5% प्रतिशत अतिरिक्त सुरक्षा निधि काटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 36 माह की बैंक गारंटी में बदला जा सकता है। ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि की 5 प्रतिशत अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त 5 प्रतिशत की राशि की कटौती नहीं की जावेगी। अमानत राशि कार्य पूर्ण होने के उपरांत तीन वर्ष के पश्चात ही वापस की जावेगी। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नही करने पर कार्यालय में जमा अमानत राशि राजसात की कार्यवाही की जा सकेगी।

14. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या इसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मुख्य निविदा राशि का 15 प्रतिशत होना चाहिए जो आवेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समायावधि का ना हो प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।

15. कंडिका क्र. 1 एवं 2 कार्य की प्रकृति पूर्ण रूप से पुरातात्विक होने के कारण इन कार्यो हेतु राज्य पुरातत्व विभाग तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुरक्षण कार्य में 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

16. अमानत राशि के साथ सत्यनिष्ठा शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा निविदा प्रकिया में शामिल नहीं किया जावेगा।

17. किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा तथा विवाद की स्थिति में संचालक पुरातत्व अभिलेखगार एवं संग्रहालय रायपुर का निर्णय दोनो पक्षों को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।

18. उपरोक्त सामान्य शर्त तथा निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों के साथ अनुबंध का भाग रहेगा जो ठेकेदार / फर्म को मान्य करना होगा।

संचालक
पुरातत्व अभि.एवं संग्रहालय
रायपुर(छ.ग.)